न्यायालय जिला कलक्टर,राजसमंद

(अरूण कुमार हसीजा,आई0ए0एस0,जिला कलक्टर द्वारा अध्यासित)

प्रार्थना पत्र रसद संख्याः 01/2025

दायर दिनांकः 14.02.2025

निर्णय दिनांक 16.09.2025

—:अनवानः—

राज्य सरकार जरिये, लोकेश जोशी प्रवर्तन अधिकारी, राजसमन्द

— प्रार्थी

—:: बनाम ::—

श्री मुकेश कुमार खटीक पुत्र श्री जगदीश खटीक निवासी जाटो का मोहल्ला, ग्राम पंचायत कुंवारिया तहसील व जिला राजसमन्द

— अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6 ए आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 अप्रार्थी द्वारा एल.पी.जी. घरेलू गैस सिलेण्डरों का अवैध रूप से भण्डारण करते हुए पाये जाने पर जब्तशुदा एल.पी.जी. गैस सिलेण्डर मय एल.पी.जी. गैस को जब्त सरकार कर आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 6ए के अन्तर्गत राजसात करने बाबत।

उपस्थितः—

1— श्री अनिल बागोरा, राजकिय अधिवक्ता, प्रार्थी

2— श्री प्रकाश चन्द्र खटीक, अधिवक्ता अप्रार्थी

:: निर्णय ::

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि दिनांक 29.01.2025 श्री रणजीत सिंह, प्रवर्तन अधिकारी एवं श्री राकेश माहेश्वरी, प्रवर्तन निरीक्षक द्वारा घरेलू गैस के दुरुपयोग के क्रम में संचालित अभियान के दौरान मुकेश कुमार खटीक पुत्र श्री जगदीश खटीक द्वारा संचालित मैसर्स भेरूनाथ किराणा एण्ड जनरल स्टोर, जाटों का मोहल्ला, कुवारिया पर 11 भरे हुए घरेलू गैस सिलण्डर पाए गए। जिनके क्रम में मुकेश कुमार खटीक से पूछताछ करने पर बताया गया कि उपभोक्ताओं से खाली सिलेण्डर प्राप्त कर मैसर्स रामकृष्ण गैस एजेन्सी, पीपरडा तहसील राजसमन्द से भरे सिलेण्डर प्राप्त कर 20 रूपये प्रति सिलेण्डर के कमीशन पर एलपीजी गैस का कारोबार करता हूं। जांच दल द्वारा पूछे जाने पर उक्त के संबंध में कोई वैध अनुज्ञापत्र एवं खरीद के संबंध में दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए गये। प्रथम दृष्टया अप्रार्थी द्वारा उक्त घरेलू गैस सिलेण्डरो का व्यवसायिक उपयोग किये जाने की आशंका पर 11 भरे हुए घरेलु गैस सिलेण्डर मय 156.2 किलोग्राम गैस जब्त की जाकर श्री मोहन लाल बुनकर पुत्र श्री लालु राम बुनकर निवासी भामाखेडा, प्रतिनिधि मै0 बालाजी भारत गैस, कांकरोली तहसील एवं जिला

न्यायालय जिला कलक्टर राजसमन्द (राज.)

राजसमन्द को ठीक तरीके से सुपुर्द किये जाकर सुपुर्दगीनामा तैयार करा पढ़ाकर सुनाकर हस्ताक्षर करवाये गये। मौके पर जब्त किए गये घरेलु गैस सिलेण्डर एवं उनमे संग्रहित गैस का विवरण निम्नानुसार हैः–

क्रसं.	गैर सिलेण्डर पर अंकित संख्या	तेल कम्पनी का नाम	सिलेण्ड रका प्रकार	भरे हुए सिलेण्डर का वजन	खाली सिलेण्डर का वजन	शुद्ध वजन
1	518153 S	BPCL	Dom.	29.8	15.6	14.2
2	763812 S	BPCL	Dom.	29.7	15.5	14.2
3	161787 S	BPCL	Dom.	29.6	15.4	14.2
4	104046 B	BPCL	Dom.	29.6	15.4	14.2
5	456956 T	BPCL	Dom.	29.9	15.7	14.2
6	2058898 T	BPCL	Dom.	29.6	15.4	14.2
7	293471 S	BPCL	Dom.	29.7	15.5	14.2
8	643599 T	BPCL	Dom.	29.7	15.5	14.2
9	037076 T	BPCL	Dom.	29.8	15.6	14.2
10	04414	BPCL	Dom.	29.6	15.4	14.2
11	899772	BPCL	Dom.	29.4	15.2	14.2
Total				326.4	170.2	156.2

अतः मुकेश कुमार खटीक पुत्र श्री जगदीश खटीक निवासी जाटों का मोहल्ला ग्रा0 पं0 कुंवारिया तहसील व जिला राजसमन्द द्वारा घरेलू गैस का अवैध भण्डारण करने पर कालाबाजारी किया जाना पाया गया। जो दी लिक्वीफाईड पेट्रोलियम गैस (रेगुलेशन ऑफ सप्लाई एण्ड डिस्ट्रीब्यूशन) आर्डर 2000 का उल्लंघन किया है। अतः श्रीमान् से निवेदन है कि जब्तशुदा 11 घरेलू गैस सिलेण्डर मय 156.2 किलोग्राम गैस को राजसात किये जाने के आदेश प्रदान करावे।

प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस सूचना दी गई। अप्रार्थी ने स्वयं उपस्थित होकर जवाब प्रस्तुत कर बहस की। उसके उपरान्त अधिवक्ता श्री प्रकाश चन्द्र खटीक द्वारा अप्रार्थी की ओर से वकालतनामा पेश किया।

अप्रार्थी ने जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि दिनांक 29.01.2025 को जाट मोहल्ला कुवारिया मे मुझ प्रार्थी की दुकान के पास ही रोड पर गांव कुंवारिया के 11 महिलाओ द्वारा अपने अलग अलग कार्यों से बाहर जाने व खेती के काम से खेत पर जाने के कारण अपने घरेलू गैस के खाली सिलेण्डर, सिलेण्डर भरवाने की राशि व गैस कनेक्शन की डायरी गैस भरवाने हेतु मुझ प्रार्थी के पास रख कर गयी तथा मेरे द्वारा 11 महिलाओ के सिलेण्डर गैस एजेन्सी की गाडी से भरवाकर रोड पर ही उक्त 11 महिलाओ के ले जाने हेतु रखे हुए थे ताकि महिलाए अपने अपने भरे हुए सिलेण्डर पुनः अपने अपने घर ले जावे लेकिन गैस एजेन्सी की गाडी के गैस से भरे हुए सिलेण्डर उतार कर खाली सिलेण्डर गाडी मे भरकर ले जाते ही मौके पर श्री रणजीत सिंह, प्रवर्तन अधिकारी श्री लोकेश जोशी एवं श्री राकेश माहेश्वरी, प्रवर्तन निरीक्षक आए व आते ही मुझ प्रार्थी से उक्त सिलेण्डरो के दस्तावेज मांगे मेरे द्वारा उक्त 11 महिलाओ द्वारा मुझे गैस भरवाने हेतु

न्यायालय जिला कलक्टर राजसमन्द (राज.)

दी गई गैस की डायरीयॉ दिखाई लेकिन प्रवर्तन अधिकारी द्वारा उक्त डायरियो को देखने के बाद भी मेरे से उक्त सिलेण्डरो का वैध लाईसेन्स मांगा तथा उक्त 11 सिलेण्डरो को रोड से ही जब्त कर भाडे के टेम्पो मे भरकर ले गए। उक्त 11 महिलाओ द्वारा मुझ प्रार्थी की जिम्मेदारी पर सिलेण्डर भरवाने हेतु रखे गए थे अब उक्त 11 सिलेण्डर जब्त किए जाते है तो उक्त 11 महिलाओ को उक्त सिलेण्डर व गैस की क्षतिपुर्ति राशि अदा करनी होगी जिससे विपक्षी को भारी क्षति होगी। प्रार्थी/विपक्षी एल.पी.जी. घरेलु गैस सिलेण्डर का अवैध रुप से भण्डारण नहीं करता है तथा उक्त सिलेण्डर रोड से जब्त किए गए है। अतः श्री मान से प्रार्थना है कि उक्त 11 एल.पी.जी गैस सिलेण्डर मय एल.पी.जी गैस राजसात नहीं कर उक्त 11 महिलाओ को सुपुर्द किए जाने का आदेश फरमाया जाए।

प्रार्थी के अधिवक्ता एवं अप्रार्थी की बहस सुनी गयी। राजकीय अधिवक्ता द्वारा बहस में प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए मुख्य रूप से यह कथन किया कि दिनांक 29.01.2025 को अप्रार्थी द्वारा संचालित मैसर्स भेरूनाथ किराणा एण्ड जनरल स्टोर, जाटों का मोहल्ला, कुवारिया पर 11 भरे हुए घरेलू गैस सिलण्डर पाए गए जिसके क्रम में जांच दल द्वारा पूछे जाने पर उक्त सिलेण्डरो के संबंध में कोई वैध अनुज्ञापत्र एवं खरीद के संबंध में दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए गये। प्रथम दष्टया अप्रार्थी द्वारा उक्त घरेलू, गैस सिलेण्डरो का व्यवसायिक उपयोग किये जाने की आशंका पर 11 भरे हुए घरलू गैस सिलेण्डर मय 156.2 किलोग्राम गैस जब्त की गयी। अतः अप्रार्थी द्वारा घरेलू गैस का अवैध भण्डारण करने पर कालाबाजारी किया जाना पाया गया जो दी लिक्वीफाईड पेट्रोलियम गैस (रेगुलेशन ऑफ सप्लाई एण्ड डिस्ट्रीब्यूशन) आर्डर 2000 का उल्लंघन है। अतः निवेदन है कि जब्तशुदा 11 घरेलू गैस सिलेण्डर मय 156.2 किलोग्राम गैस को राजसात किये जाने के आदेश प्रदान करावे।

अप्रार्थी ने जवाब में वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए मुख्य रूप से यह कथन किया कि दिनांक 29.01.2025 को जाट मोहल्ला कुवारिया मे मुझ प्रार्थी की दुकान के पास ही रोड पर गांव कुवारिया के 11 महिलाओ द्वारा अपने अलग अलग कार्यों से बाहर जाने व खेती के काम से खेत पर जाने के कारण अपने घरेलू गैस के खाली सिलेण्डर, सिलेण्डर भरवाने की राशि व गैस कनेक्शन की डायरी गैस भरवाने हेतु मुझ प्रार्थी के पास रख कर गयी तथा मेरे द्वारा 11 महिलाओ के सिलेण्डर गैस एजेन्सी की गाडी से भरवाकर रोड पर ही उक्त 11 महिलाओ के ले जाने हेतु रखे हुए थे ताकी महिलाएँ अपने अपने भरे हुए सिलेण्डर पुनः अपने अपने घर ले जावे लेकिन गैस एजेन्सी की गाडी के गैस से भरे हुए सिलेण्डर उतार कर खाली सिलेण्डर गाडी मे भरकर ले जाते ही मौके पर श्री रणजीत सिंह, प्रवर्तन अधिकारी श्री लोकेश जोशी एवं श्री राकेश माहेश्वरी, प्रवर्तन निरीक्षक आए व आते ही मुझ प्रार्थी से उक्त सिलेण्डरो के दस्तावेज मागे मेरे द्वारा उक्त 11 महिलाओ द्वारा मुझे गैस भरवाने हेतु दी गई गैस की डायरीया दिखाई लेकिन प्रवर्तन अधिकारी द्वारा उक्त डायरियो को देखने के बाद भी मेरे से उक्त सिलेण्डरो 11 सिलेण्डरो को रोड से ही जब्त कर भाडे के टेम्पो मे भरकर ले गए। उक्त 11 महिलाओ को उक्त सिलेण्डर व गैस की क्षतिपुर्ति राशि अदा करनी होगी जिससे विपक्षी को भारी क्षति होगी। प्रार्थी/विपक्षी एल. पी.जी. घरेलु गैस सिलेण्डर का अवैध रुप से भण्डारण नहीं करता है तथा उक्त सिलेण्डर रोड से जब्त किए गए है। अतः श्री मान से प्रार्थना है कि उक्त 11 एल.पी.जी गैस सिलेण्डर मय एल.पी.जी गैस राजसात नहीं कर उक्त 11 महिलाओ को सुपुर्द किए जाने का आदेश फरमाया जाए।

न्यायालय जिला कलक्टर राजसमन्द (राज.)

उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की बहस पर गहन मनन किया गया तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो का अवलोकन किया गया तथा इस प्रकरण में लिखित जवाब प्रस्तुत किया गया। इस जवाब में अप्रार्थी द्वारा यह लिखा गया कि ग्राम कुंवारिया की 11 महिलाओ द्वारा अपने अलग–अलग कार्यो से बाहर जाने व खेती के काम से खेत पर जाने के कारण अपने घरेलू गैस के खाली सिलेण्डर भरवाने की राशि और गैस कनेक्शन की डायरी अप्रार्थी के पास रख दिये गये थे तथा उसके द्वारा 11 महिलाओ के गैस सिलेण्डर गैस एजेन्सी की गाड़ी से भरवाकर तथा रोड़ पर ही 11 महिलाओ के ले जाने हेतु रखे गये थे।

इस प्रकार अप्रार्थी के जवाब से स्वतः ही यह साबित होता है कि अप्रार्थी घरेलू एल पी जी गैस के अवैध व्यापार में संलिप्त है तथा गैस सिलेण्डर बिना किसी वैद्य अनुज्ञप्ति के व बिना किसी वैद्य अनुमति के अपनी दुकान पर रखे जाते है, बेचे जाते है, भराये जाते है। विपक्षी का उक्त कृत्य धारा 6 ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के अंतर्गत अपराध की श्रेणी में आता है।

उपरोक्त विवेचनान्तर्गत यह प्रमाणित है कि उक्त जब्तशुदा सिलेण्डर विपक्षी के पास बिना वैद्य लाईसेन्स व अनुमति कब्जे में पाये गये हैं तथा प्रार्थी द्वारा की गई जब्ती की कार्यवाही नियमानुसार पाई गई हैं। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता हैं।

:: आदेश ::

अतः उपरोक्त विवेचनान्तर्गत प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया जाकर जिला रसद अधिकारी राजसमन्द को निर्देशित किया जाता है कि अप्रार्थी से जब्तशुदा समस्त 11 सिलेण्डरो मय 156.2 किलोग्राम गैस को राजसात किया जाकर राशि राज्यमद में जमा करें। निर्णय की प्रति जिला रसद अधिकारी राजसमन्द को भिजवायी जावे।

(अरूण कुमार हसीजा)
जिला कलक्टर
राजसमंद

निर्णय आज दिनांकः 16.09.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अरूण कुमार हसीजा)
जिला कलक्टर
राजसमंद

न्यायालय जिला कलक्टर
राजसमन्द (राज.)